ई. मेल

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार 15 जनपद)
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक :: 1323 / वि0का0 / 2011–12 लखनऊ :: दिनांक :: 21 जुलाई–2011

विषय **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 एस. सी.एस.पी. मद हेतु हुई बजट व्यवस्था से वित्तीय वर्ष 2010–11 में विलेज हाट की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की मैंचिंग धनराशि को शार्टफाल के रूप में स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0–634 / 26–ब0प्र0 / 2011–58एसजीएसवाई / 10 टीसी–I, दिनांक 18.07.2011 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 एस0सी0एस0पी0 मद हेतु हुई बजट व्यवस्था से वित्तीय वर्ष 2010–11 में विलेज हाट की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 40.315 लाख (रू0 चालीस लाख इकत्तीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 40.315 लाख (रू0 चालीस लाख इकत्तीस हजार पांच सौ मात्र) वित्तीय वर्ष 2010–11 में विलेज हाट की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना इस कार्यालय एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए–0101–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना)(के075 / रा025–रा0)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एससीएसपी मद अनुदान संख्या–83 में आपके जनपद को अब तक आवंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम–4 में दर्शाया गया है।

8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियॉ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग–6 एवं समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।

9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0–189 पर कर ली गई है।

भवदीय,

<u>संलग्नक– उपरोक्तानुसार</u>

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

<u>पत्रांक :: 1323 / वि0का0 / 2011–12 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–3 / वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–2।
9. राज्य योजना आयोग–1 / 2 उ0प्र0 शासन।
10. विशेष सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग–3 / 6 उ0प्र0 शासन।
11. संयुक्त सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभागउ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या–634 / 26–ब0प्र0 / 2011–58एसजीएसवाई / 10 टीसी–। दिनांक 18.07.2011 के सन्दर्भ में।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
13. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :1323/वि0का0/2011–12 दिनांक : 21 जुलाई, 2011 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में अनुदान सं0–83 एससीएसपी मद में वर्ष 2010–11 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	BULANDSHR	2.813	17.963
2	MUZ . NAGAR	2.813	22.053
3	RAMPUR	2.813	57.663
4	J.P. NAGAR	2.813	43.323
5	SHAHJAHANPUR	2.813	185.983
6	AGRA	0.940	24.320
7	MAINPURI	2.812	85.452
8	ALIGARH	2.813	40.553
9	JALAUN	2.812	99.362
10	FURRUKHABAD	2.813	34.363
11	KANNAUJ	2.812	51.692
12	LAKHIMPUR KHERI	2.812	107.242
13	RAEBAREILLY	2.812	107.042
14	BAGPAT	2.812	10.162
15	BALRAMPUR	2.812	60.612
State Total ::		40.315	

(रू0 चालीस लाख इकत्तीस हजार पांच सौ मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

share 2011-12

संख्या– 634 /26–ब.प्र0–9एसजीएसवाई/2011टी0सी

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग लखनऊः दिनांक 18 जुलाई, 2011

विषयः—वित्तीय वर्ष 2011—12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हुई बजट व्यवस्था से वित्तीय वर्ष 2010—11 में विलेज हाट की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रॉश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या—83 से राज्यॉश की मैचिंग धनराशि शार्टफाल के रूप में स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—913/वि.का0/2010—11 दिनांक 10 मई, 2011 के संदर्भ में के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या—83 में हुई बजट व्यवस्था से विलेज हाट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2010—11 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये केन्द्रॉश के सापेक्ष राज्यॉश की धनराशि रू0—40.315लाख(रूपये चालिस लाख एकतिस हजार पॉच सौ मात्र)शार्टफाल के रूप में आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः—

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार विलेज हाट योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(3) वित्तीय वर्ष 2011—12 में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि रू0—40. 315लाख(रूपये चालिस लाख एकतिस हजार पॉच सौ मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपदों को तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार/विलेज हाट योजनान्तर्गत केन्द्रांश की

धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(4) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(5) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है और उससे विचलन न हो।

(6) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा सुसंगत नियमों/आदेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय व्ययक अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक "2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-789-अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-3-1252/दस-2011 दिनांक 15 जुलाई 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-634(1)/26-ब.प्र.-2011-तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ.प्र., इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.
4. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/ नियोजन अनुभाग-3
7. राज्य योजना आयोग-1/2,
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव।

G.O. Budget